

1-6-25

प्रार्थी आधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह चन्दावत ने न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने से पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। प्रार्थी आधिवक्ता द्वारा सहज से प्रार्थना पत्र गलत द्वारा में उस्तुत किया गया। जिसको विदो कर पुनः बार दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र उस्तुत कर प्रार्थना पत्र विदो हेतु निवेदन किया है।
अतः प्रार्थी आधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर डोप समाप्त किया जाता है। पत्रावली फंसल नुमांर होकर नम्बराण से कम की जाकर बार दाखिला दाखिल दफ्तर के आदेशा दिभे जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल